

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय बाल विकास परियोजना अ धकारी, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय बाल विकास परियोजना अ धकारी, पौड़ी के माह 05/16 से 08/17 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री र वशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री एस.एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री वजयकुमार, व.ले.प. द्वारा दिनांक 04.09.2017 से 07.09.2017 तक श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मक: यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अ धकार क्षेत्र: पौड़ी शहर, नंदा देवी योजना, वृद्ध महिला पोषण, THR/Cooked food
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराशि रु. लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आ धक्य (+) | बचत (-) |
|----------------------|------------------|----------------|---------|-------|-------------|--------|---------------|------------|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2015-16 | 0 | 0 | 37.69 | 17.70 | 173.33 | 162.45 | - | 30.87 |
| 2016-17 | 0 | 0 | 26.44 | 22.40 | 161.28 | 137.07 | - | 28.25 |
| 2017-18 (8/17 तक) | 0 | 0 | 14.53 | 10.35 | 82.95 | 27.48 | - | - |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय अ धक्य (+) | बचत (-) |
|---------|-----------------|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| 2015-16 | आ.बा. मानदेय | 0 | 5550000 | 5351188 | 198812 |
| | घरेलू हिंसा | 0 | 40000 | 39070 | 930 |
| | 11 लेखन सामग्री | 0 | 10000 | 7830 | 2170 |

| | | | | | |
|---------|-----------------|---|---------|---------|---------|
| 2016-17 | आ.बा. मानदेय | 0 | 5600000 | 4757571 | 842429 |
| | घरेलू हिंसा | 0 | 20000 | 12195 | 7805 |
| | 11 लेखन सामग्री | 0 | 8000 | 4792 | 3208 |
| 2017-18 | आ.बा. मानदेय | 0 | 2670000 | 1217725 | 1452275 |
| | घरेलू हिंसा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 लेखन सामग्री | 0 | 0 | 0 | 0 |

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्या जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. स चव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय बाल विकास परियोजना अधकारी, पौड़ी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय बाल विकास परियोजना अधकारी, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित हैं। माह 03 /2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया। नंदा देवी कन्या योजना, THR/Cooked food का वस्तुतः वश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया। के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 'ब'

प्रस्तर- 1: वर्ष 2015-16 में रू. 66.86 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 56.37 लाख की धनराश के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 460 /XVII(4)/2016-129/06TC, दिनांक 10.02.2016 तथा आई. सी. डी. एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक: C-29/रिपोर्ट 14 /2017-18, दिनांक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कया गया था ।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों को हस्तांतरित धनराश के व्यय होने के पश्चात संबन्धित मुख्य से वका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल विकास परियोजना अधकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संकलित करते हुए बाल विकास परियोजना अधकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अधकारी कार्यालय को प्रेषित कया जाना चाहिए।

बाल विकास परियोजना अधकारी, पौड़ी के अधलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में रू. 7.86 लाख की धनराश आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों के खातों में हस्तांतरित की गई थी जिसके उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथ तक उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कए गए थे।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 68.00 लाख तथा वर्ष 2016-17 में 61.00 लाख की धनराश आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष 2015-16 में रू 66.86 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 48.51 लाख का व्यय कया गया था तथा अवशेष धनराश समर्पित की गई थी । व्यय की गई धनराश के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा तिथ तक प्राप्त नहीं कए गए थे ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में सुपरवाईजर्स को निर्देशित कया जा रहा है तथा उपभोग प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त कर लए जाएंगे।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्त क पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2015-16 में रू. 66.86 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 56.37 लाख की धनराश के उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर -1 : ब्याज प्राप्ति रू. 5866/- की धनराश राजकोष में जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन के वत्त वभाग के शासनादेश संख्या: U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश संख्या: 610/XXVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक वभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराश बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनराश को राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक घोर वतीय अनियम मतता है तथा निर्देशत कया है की जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराश राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या:99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03.09.2009 द्वारा भी निर्देशत कया गया था क यदि कसी व शष्ट कारणों के कारण समे क्त नि ध से आहरित धनराश का उपयोग न कया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराश राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा कया जाय।

बाल विकास परियोजना अधकारी, पौड़ी के अधलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क इकाई द्वारा पदनाम बैंक खातों में जून 2016 से जून 2017 तक कुल 5866/- का ब्याज अर्जित कया गया था। जो उक्त शासनादेशों के अनुपालन में राजकोष में जमा कया जाना अपेक्षत था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथ (सतम्बर 2017) तक उक्त ब्याज की धनराश राजकोष में जमा नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त धनराश राजकोष में जमा नहीं की गई थी। जिसे शीघ्र सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जाएगा ।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्त की पुष्टि करता है ।
अतः रू. 5866/- की ब्याज की धनराश राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-॥ 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-॥ 'ब' प्रस्तर संख्या |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। | | |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | | |

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय बाल वकास परियोजना अ धकारी, पौड़ी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताए:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | अव ध |
|---------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | श्री सरोज कुमार त्रिपाठी | सी.डी.पी.ओ. | 1.05.2016 से 21.06.2017 तक |
| 2. | श्री संदीप कुमार | सी.डी.पी.ओ. | 22.06.2017 से वर्तमान तक |
| | | | |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय बाल वकास परियोजना अ धकारी, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार /उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी /सामाजिक क्षेत्र